भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(197)

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री राजाराम उपाध्याय [illegible] प्र.क.
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 26-08-2017

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 प्रस्तुत।
म.प्र.भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत:- 601
26-08-2017

16-17

PBR/निगरानी/बड़वानी/भू.रा./2017/3481

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

निर्मलाबाई पति पन्नालाल जाति भीलाला उम्र 32 वर्ष
निवासी खजूरी तहसील राजपुर जिला बड़वानी (म.प्र.) -- आवेदिका/
मूल अपीलांट/विक्रेता

विरूद्ध

रामकुंवरबाई पति गंगाराम जाति भीलाला उम्र 40 वर्ष
निवासी खजूरी तहसील राजपुर जिला बड़वानी (म.प्र.) -- अनावेदिका/
मूल रेस्पाण्डेंट/क्रेता

विषय:- तहसीलदार महोदय राजपुर द्वारा नामांतरण पंजी में किया गया आदेश तथा प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा धारा 5 पर दिया गया आदेश दिनांक 27.6.2017 का निरस्त करने बाबद निगरानी।

आवेदिका का नम्र निवेदन है कि:-

1. आवेदिका (मूल विक्रेता) श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व राजपुर द्वारा प्रथम अपील प्र.क्र. 40ए6/16-17 में धारा 5 के आवेदन पत्र पर दिनांक 27.6.2017 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर सदर निगरानी न्याय प्राप्ति हेतु प्रस्तुत करती है।

2. यहकि आदेश की प्रमाणित नकल संलग्न पेश है।

3. यहकि निगरानी अंदर म्याद में प्रस्तुत है।

4. यहकि निगरानी योग्य मुद्रापत्र पर प्रस्तुत है।

5. यहकि द्वितीय अपील की म्याद समाप्त होने से सदर निगरानी कानूनी बिन्दु पर न्याय प्राप्ति हेतु प्रस्तुत की जा रही है। धारा 5 के आवेदन पत्र पर आदेश दिया होने से निगरानी में श्रवण योग्य है।

6. यहकि आवेदिका अनपढ़, आदिवासी महिला होकर ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यालय से दूर रहने के कारण समय पर द्वितीय अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रही है, इस कारण सदर निगरानी अंदर म्याद में न्याय

निर्मला

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बडवानी/भूरा/2017/3481

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री राजाराम उपाध्याय उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	